अपनी बात...

गणतंत्र या गेतंत्र

आज से ६२ वर्ष पूर्व हम एक संप्रभु गणराज्य बने। आज इतने वर्ष बीत चुके हैं इन वर्षों में उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों में भी उसको बचाये रखा है। चार-चार युद्ध लड़े पर डगमगाए नहीं। अधिकतर झंझावात शैशवकाल में ही आये लेकिन तब हम डटकर खड़े रहे टूटे नहीं, झुके नहीं।

जैसे-जैसे विकास हुआ प्रभाव उल्टा पड़ने लगा। गरीब-अमीर के बीच की खांइ लगातार बढ़ती गयी। उस समय जितने गरीब थे आज उनकी संख्या उससे अधिक है। निरक्षरों की संख्या बढ़ी और यह धारणा बनने लगी कि पढ़ने लिखने का फायदा नहीं।

गांव में परिस्थितयाँ ऐसी बनी कि बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगाना एक मजबूरी हो गयी। आज उसका नतीजा सामने है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चलायी जा रही है। आज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उसका जिंगल जब रेडियों पर बजता है तो उसमें प्रमुखता इस बात की नहीं होती कि पढ़-लिख कर योग्य बने बल्कि इस बात की है कि स्कूल में खाना मिलेगा। हम आज तक अशिक्षा, गरीबी व विस्थापन नहीं दूर कर पाये।

जवाब देही के अभाव में लोकतंत्र के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। हम भ्रष्टाचार में आंकठ-डूब चुके हैं। कार्य प्रणाली से पारदार्शिता ऐसे गायब हो गयी है जैसे गधे के सिर से सींग। औद्योगिक, वाणिज्यिक, उदारीकरण का फायदा आम आदमी को न मिलकर चन्द जेबें भर रही हैं।

कानून की नज़र में बराबरी सिर्फ किताबों व भाषणों में है असलियत में है उसके ठीक विपरीत। कानून को बनाने वाले (विधायिका) उसका पालन कराने वाले (कार्यपालिका) तथा उसकी समीक्षा करने व लागू कराने वाले (न्यायपालिका) अपने को कानून से ऊपर मानते हैं। धनाड्य व प्रभावशाली वर्ग नियम कानून को अपने जूते की नोक पर रखकर चलता है जहाँ इच्छा हुई इसको नीचे कुचल दिया। जब भी कोई नेता/अधिकारी/बड़ा गुण्डा फंसता है तो सरकारें यह कहकर अपना मुँह छुपा लेती हैं कि कानून अपना काम करेगा लेकिन कानून काम करता नहीं है।

काला धन आज देश की सबसे बड़ी समस्या है यह देश को खोखला कर रहा है। देश में 'ऋणी कृत्वा धृतं पिवेत' अर्थात कर्ज लेकर घी पीने का मुहावरा चरितार्थ हो रहा है। पहले विदेशी कर्ज लिया जाता है फिर इस कर्ज से प्रोजेक्ट चलाये जाते हैं जो वास्तव में केवल कागजों पर चलते हैं वास्तविकता में नहीं और धन की बरबादी हो जाती है बाद में वही बन्दर बाट वाला धन या तो विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है या कमरों में भरकर रख दिया जाता है, जिसका परिणाम है कि हम विदेशी कर्जदार होने के कारण उसके आगे झुक जाते हैं फिर उसका ब्याज चुकाते हैं।

आज देश का हर बच्चा अपने सिर पर ३४ हजार का कर्ज़ लेकर पैदा हो रहा है, जो कर्जदार पैदा होगा वह स्वाभिमानी नहीं हो सकता है। एक कहावत है 'मुँह खाये आँख लजाये' संपूर्ण संप्रभु गणतंत्र बनने के बाद भी हम औपनिदेशक कानून को समाप्त नहीं कर सके आज भी उन्हीं से देशवासियों का अत्याचार, उनका दमन वैसे ही हो रहा है जैसे अंग्रेज उन पर करते थे मसलन आज भी सन् १८६१ का पुलिस एक्ट लागू है जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधानुसार भारतीयों के दमन के लिए बनाया था।

जो राजनीतिक व्यवस्था अपनायी गयी वह पूरी तरह से असफल है असफलता का आलम यह है कि गुण्डे, अपराधी संसद विधान सभाओं में पहुँच गए। देश की बदहाली के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका तीनों ही जिम्मेदार हैं ये एक दूसरे पर कार्यक्षेत्र के अतिक्रमण का दोषारोपण करके अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेते हैं जिसके कारण हर समय टकराव बना रहता है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि ये विसंगतियाँ दूर हो जायं तथा अंग्रेजो के बनाए कानून को समाप्त करके भारतीयों द्वारा बनाये गये कानून को भारतीयों पर लागू करके देश चलाया जाय तो हम दुनिया में सबसे अच्छे साबित होंगे तथा इस गणतंत्र को गेतंत्र में बदलने से रोक सकते हैं।

देश के नियतांओ को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में संविधान सत्ता का अस्त्र नहीं बल्कि जनता का सत्ता को नियंत्रित करने का अस्त्र है।❑

कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डॉन धर्मेंद्र किरठल की ओर से दायर उस याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, जिसमें यूपी गैंगस्टर व गैर सामाजिक गतिविधि (बचाव) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। २००६ से जेल में बंद किरठल ने याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस पर गैंगस्टर अधिनियम के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही जेल की सजा काटने के दौरान उस पर तीन बार इसी अधिनियम के प्रयोग को असंवैधानिक और संविधान के प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ करार दिया गया है।

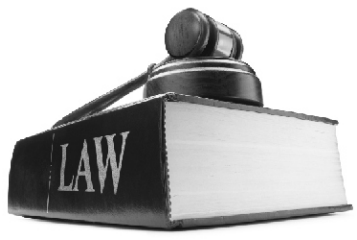

जस्टिस आरएम लोढ़ा व जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ के समक्ष कीर्थल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता डीके गर्ग ने कहा कि राज्य पुलिस ने पांच साल से जेल में बंद उनके मुवक्किल के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया है। जबकि इस अधिनियम का उपयोग किसी की ओर से किए जाने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए ही किया जाता है। उन्होंने पीठ को बताया कि किरठल पर जून २००६ में बागपत पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद से वह जेल में है। दूसरी बार मेरठ पुलिस ने २००७ में गैंगस्टर अधिनियम की धारा २/३ के तहत मामला दर्ज किया था। जबकि तीसरी बार मई, २०१० में बागपत पुलिस ने किरठल को फिर से इसी अधिनियम के तहत आरोपित कर दिया। पीठ ने अधिवक्ता के तर्क से सहमति जताते हुए याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है।❑

नेता को सेवा विस्तार के प्रस्ताव का हक नहीं

इलाहाबाद, उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा किसी लोकसेवक को सेवा विस्तार का प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना न केवल २२ जुलाई ८७ के शासनादेश का उल्लंघन है, अपितु यह भारतीय संविधान के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है।

न्यायालय ने कहा है कि राजनेताओं को कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, यदि वे संबंधित विभाग के इंचार्ज न हों।

यदि लोकल राजनेता की संस्तुति पर किसी लोक सेवक को सेवा विस्तार दिया जाता है तो यह न केवल सीधा हस्तक्षेप है वरन् गलत प्रक्रिया है। ऐसा होने से लोक

सेवक सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की सेवा करता हुआ माना जाएगा। इसी के साथ न्यायालय ने फारेस्ट रेंज आफीसर तेंदुवारी बुंदेलखंड, बांदा अमृत लाल चौहान (नोरिया) के सेवा विस्तार पर निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि याची न तो अपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और न ही वह विशेषज्ञ है। यायमूर्ति न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने अमृत लाल चौहान की याचिका पर दिया है।

बसपा जिलाध्यक्ष बलदेव प्रसाद वर्मा ने पंचायत राज, भूमि विकास, जल संस्थान विभाग के मंत्री व विधान परिषद के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से याची की सेवा विस्तार की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंत्री ने प्रमुख सचिव फारेस्ट को संदर्भित कर दिया। जिस पर प्रमुख सचिव ने विशेष सचिव को भेजा जिस पर उपसचिव ने उसी दिन मुख्य वन संरक्षक से कमेंट मांगा। कोई निर्णय न होने पर याचिका दाखिल की गई थी।❑

टप्पल टाउनशिप : हाईकोर्ट के फैसले से किसानों में खुशी

अलीगढ़। टप्पल टाउनशिप के मसले पर प्रदेश सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब १५० किसानों की ओर से दायर चार याचिकाओं पर कहा है कि जमीन किसानों की बिना मर्जी न ली जाए। जब तक यह विवाद नहीं निपटता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। कोर्ट के फैसले से टाउनशिप के लिए जमीन देने का विरोध कर रहे किसानों में खुशी की लहर है।

प्रशासन ने मान-मनौव्वल कर टप्पल टाउनशिप के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर ली थी। लेकिन १५० किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया था। वे ज्यादा मुआवजा की मांग कर रहे थे। चूंकि ८० फीसदी से ज्यादा किसानों ने जमीन दे दी थी इस आधार पर सरकार ने अधिग्रहण कानून को आधार बना कर बाकी की जमीन का जबरन अधिग्रहण शुरू कर दिया। इस पर किसान अदालत चले गए।

किसानों ने चार अलग-अलग याचिकाएं दायर करते हुए कहा था कि एक तो सरकार ने ज्यादा मुआवजा की मांग को खारिज कर दिया फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर जबरन अधिग्रहण करने लगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एकमामले में साफ आदेश दिया था कि किसानों की मर्जी के बिना जमीन अधिग्रहीत नहीं की जा ठ ने सकती। जस्टिस अशोक भूषण व सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया। किसानों के अधिवक्ता पीके सिंह ने बताया कि ६८ पेज के जजमेंट में तीन आदेश दिए हैं, जिनमें एक तो सरकार के प्रत्यावेदन निरस्त करने के आदेश को रद्द किया है। दूसरा २७ अगस्त २०१० के आदेश को निरस्त किया गया है और तीसरा बिना मर्जी जमीन लेने व विवाद निपटने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।❑

विधि/ न्याय/ अन्याय से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए लिखें, बताएं हम आप की सहायता करेंगे।

संपर्क करें-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

संपादक : **'जजमेण्ट आजतक'**

हिमांशु सदन, ५ पार्क रोड, लखनऊ, मो.: ९८३९०१०६७७

e-mail : judgementaajtak@yahoo.co.in